

*Mr. M.
Dr. Mahesh
Brijeshwar
31/8*
सं०सं०-१ / विविध-५४ / २०१४(पार्ट-१)- १०६५(१)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार, नाम्रता
प्रधान सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य / अधीक्षक,
सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
बिहार।

Sri Krishan Medical College,Muz.
Letter No.: 1017119
Date: 31/8/19

Receiver Sign

पटना, दिनांक- ७/८/२०१९

विषय:- सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के सुचारू रूप से प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश के संबंध में।

महाशय,

पिछले कुछ माह में विभाग के वरीय पदाधिकारियों के भ्रमण के क्रम में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में साफ-सफाई की कमी दृष्टिगोचर होती रही है। मीडिया द्वारा भी इन त्रुटियों की ओर बराबर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। आप सभी चिकित्सक होने के नाते भली-भांति अवगत हैं कि महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की कमी से मरीजों एवं उनके परिजनों को गंभीर किरण की बीमारियाँ लगने का खतरा बना रहता है। ऐसा भी दृष्टिगत हुआ है कि अस्पताल के परिसर में यन्त्र-तत्र जल-जमाव की स्थिति रहती है, जिसे ससमय दूर नहीं कराने से मच्छरों के प्रजनन एवं उसमें जनित बीमारियों के उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में बिना किसी रोक के निर्बाध रूप से मरीज के परिजन, मीडिया कर्मी एवं अन्य व्यक्ति अस्पताल के संवेदनशील हिस्सों यथा- आई०सी०य०, ओ०टी० एवं वार्डों में प्रवेश करते रहते हैं जिससे अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों एवं कर्मियों के कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न होती है।

2. यह भी देखा जा रहा है कि विलिनिकल विषयों में एम०सी०आई० के मानक के अनुरूप यूनिट का गठन एवं शाय्याओं का टैगिंग नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से एम०सी०आई० के निरीक्षण के समय में प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है और य०जी० एवं पी०जी० सीटों की मान्यता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होते हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैं :-

I. परिसर एवं भवनों की साफ-सफाई एवं कचरा प्रबंधन

1. प्राचार्य एवं अधीक्षक अपने कार्य-क्षेत्र का न्यूनतम सप्ताह में एक बार विस्तृत भ्रमण करेंगे, जिसमें सभी विभागों तथा परिसर का भ्रमण भी सम्मिलित होगा और इसकी टिप्पणी तैयार कर विभाग को प्रेषित करेंगे। साथ ही पाई गयी साफ-सफाई एवं अन्य त्रुटियों के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 

2. परिसर एवं वार्डों की साफ-सफाई की दैनिक साफ-सफाई के लिये महाविद्यालय एवं अस्पताल स्तर से सहायक प्राध्यापक स्तर के चिकित्सक शिक्षक को नामित किया जायेगा, जो दैनिक भ्रमण करते हुये साफ-सफाई की व्यवस्था के संबंध में प्राचार्य अथवा अधीक्षक को सीधे प्रतिवेदित करेंगे। अस्पताल एवं महाविद्यालय परिसर की साफ-सफाई में संलग्न आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा एग्रीमेन्ट के अनुरूप साफ-सफाई इत्यादि की जा रही है या नहीं इस पर पर्यवेक्षण भी इनकी जिम्मेदारी होगी तथा इनके द्वारा प्रदत्त संतोषजनक कार्य निष्पादन प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी को भुगतान किया जायेगा।

3. अस्पताल एवं महाविद्यालय परिसर में फेंके गये एवं यत्र-तत्र इकट्ठा किये गये अनुपयोगी, खारब निष्प्रयोजित उपस्कर, उपकरण एवं अन्य सामाग्री के निस्तारण हेतु विभागीय मासिक बैठकों में बार-बार निदेशित किया जाता रहा है, किन्तु अभी तक किसी भी महाविद्यालय से इसकी अनुपालन की सूचना प्राप्त नहीं है। अपितु सभी महाविद्यालयों से ऐसे कचरे के विद्यमान होने से संबंधित सूचना प्राप्त होती रहती है। पुनः इस कचरे के निष्पादन हेतु डेढ़ माह का समय अंतिम तौर पर निर्धारित करते हुये निदेशित किया जाता है कि सभी प्राचार्य एवं अधीक्षक इस प्रकार के सभी सामाग्री की समेकित सूची तैयार कर बिहार वित्त नियमावली एवं सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों/निदेशों का अनुपालन करते हुये निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे सभी सामग्रियों की सूची विभागवार तैयार कर एक सप्ताह में सभी विभागाध्यक्ष, प्राचार्य अथवा अधीक्षक को उपलब्ध करायेंगे। इस कचरे के निष्पादन में किसी भी स्तर से असहयोग को गंभीरता से लिया जायेगा एवं जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

4. बायोमेडिकल कचरे का निस्तारण विधिसम्मत प्रावधानों के अनुरूप ही हो। यह सुनिश्चित कराना अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी। इस आशय की सूचना सभी सूत्र से स्थलों पर लगवाना सुनिश्चित किया जाय तथा सुरक्षा कर्मियों को इसका अनुपालन कराने हेतु अलग से ब्रिफिंग दी जाय तथा लिखित में भी यह आदेश निर्गत किया जाय।

II. अस्पताल के संवेदनशील हिस्सों में अनाधिकृत प्रवेश का नियंत्रण।

1. इन्डोर में अथवा कैजुअलिटी में मरीज भर्ती होने के समय ही प्रत्येक मरीज के परिजन को अन्दर प्रवेश हेतु एक पास निर्गत किये जायेंगे और इस पास के आधार पर ही मरीज के साथ परिजनों को प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रकार मरीज के साथ एक समय पर अधिकतम एक परिजन अन्दर प्रवेश कर सकते हैं। इस अनाधिकृत प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु आउटसोर्सिंग पर तैनात सुरक्षा कर्मी जिम्मेदार होंगे और अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष कमशः अपने-अपने क्षेत्र में इसका अनुश्रवण करते रहेंगे।

2. नये परिजनों या विजिटर के अस्पताल परिसर में आगमन हेतु दिन में दो समय नियत किये जाते हैं। सुबह 11 बजे से 12 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे तक समय के अतिरिक्त बिना पासधारी व्यक्तियों का अस्पताल परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। इन निदेशों से संबंधित सूचना पट्ट तैयार कर अस्पताल परिसर में जगह-जगह लगवाना। अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे एवं इनके अनुपालन का अनुश्रवण करेंगे।

3. मीडियाकर्मियों या राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के लिये भी यह अनुदेश लागू रहेंगे।

III. अस्पतालों में चिकित्सकों से कार्य लेने के संबंध में ।

1. प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पर्याप्त संख्या में विभिन्न विभागों के चिकित्सक उपलब्ध होने के बावजूद कैजुअलिटी अथवा इमरजेंसी में आवश्यक चिकित्सकों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है। जैसे-दंत चिकित्सक, नेत्र रोग विभाग, नाक, कान एवं गला विभाग एवं पैथोलॉजी इत्यादि सभी संबंधित विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करायेंगे कि कैजुअलिटी में सभी आवश्यक चिकित्सीय विभागों के चिकित्सक की ड्यूटी रोस्टर लगाई जाये तथा उनकी कैजुअलिटी में उपस्थिति का समुचित पर्यवेक्षण किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा।

2. ड्यूटी रोस्टर में चिकित्सक के साथ यूनिट प्रभारी एवं फैकल्टी का नाम भी अंकित होना चाहिये और ड्यूटी रोस्टर मोबाइल नम्बर के साथ कैजुअलिटी के प्रवेश द्वार तथा अन्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जाय।

3. इमरजेंसी में एओडी0 (Anaesthetist on duty) एसओडी0 (Surgeon on duty) और पीओडी0 (Physician on duty) अपने कर्तव्य पर आने के बाद सर्वप्रथम पूर्व से भर्ती मरीज को निरीक्षण रूप से किलनीकल रूप से परीक्षण कर अपनी परामर्श लिखें। एसओडी0 तथा पीओडी0 अपने कर्तव्य पर तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक उनके प्रतिस्थानी नहीं आ जाते हैं तथा लिखित रूप से प्रभार सोपान/प्रभार ग्रहण सुनिश्चित की जाए।

4. ट्रायज/इन्टेसिव केयर यूनिट/रीकवरी कक्ष में अनिवार्य रूप से चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभागाध्यक्ष/अधीक्षक/प्राचार्य द्वारा अपने स्तर से उन अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

5. प्रायः देखा जाता है सन्ध्याकालीन समय में चिकित्सकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता बरती जाती है। अतः सभी किलनिकल विभागों में यूनिट के सहायक प्राध्यापक एवं सीनियर रेजिडेन्ट तथा जूनियर रेजिडेन्ट द्वारा सन्ध्याकालीन राउन्ड सुनिश्चित की जाय।

6. सभी किलनिकल विभागों में इन्टरनल रोस्टर पर जो चिकित्सक कर्तव्य पर होते हैं उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।

IV. उपकरण आदि का रख-रखाव व प्रयोग

1. सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग में उपलब्ध उपकरणों के कार्यरत अथवा अकार्यरत होने के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर अधीक्षक अथवा प्राचार्य को सौंपेंगे एवं संवेदनशील उपकरणों जैसे- भेंटीलेटर इत्यादि के संचालन हेतु प्रशिक्षित चिकित्सक एवं पारामेडिकल/नर्सिंग कर्मी की भी सूची तैयार कर अधीक्षक/प्राचार्य को समर्पित करेंगे।

2. अगर कुछ उपकरण अक्रियाशील प्रतिवेदित होते हैं तो उनको क्रियाशील करने हेतु वांछित रिपेयर आदि का कार्य स्वयं अथवा बी०एम०एस०आई०सी०एल० के सहयोग से सुनिश्चित करायेंगे।

3. अगर किसी उपकरण की संचालन के संबंधित प्रशिक्षित किसी विभाग के चिकित्सक, पारामेडिकल/नर्सिंग स्टाफ प्राप्त नहीं हैं तो उसे भी प्राचार्य/अधीक्षक स्वयं अथवा बी०एम०एस०आई०सी०एल० के सहयोग से कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. किसी भी उपकरण अक्रियाशील रहने की सूचना प्राप्त होने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा तथा यदि संबंधित सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा ए०एम०सी० की अवधि में एक सप्ताह के अंदर इसका रिपेयर नहीं किया जाता है तो उस सप्लायर/डिस्ट्रीब्यूटर को काली सूची में शामिल किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।

5. यह भी देखा जा रहा है कि मानव बल अथवा उपकरण आदि की कमी दर्शाते हुये कुछ विभागों द्वारा आवश्यक सुविधा मरीजों को नहीं दी जा रही है। जैसे— बायोकेमेस्ट्री इत्यादि यह कहीं से भी उचित नहीं है। प्राचार्य अथवा अधीक्षक इस बिन्दु पर समीक्षा कर लें एवं अगले दो माह के अंदर यह सुविधायें शुरू कराना सुनिश्चित करायेंगे।

V. एम०सी०आई० एवं पठन—पाठन

1. भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिशा—निर्देशों के अनुसार विलनिकल विभागों में प्रत्येक, यूनीट के लिये कम—से—कम 30 (तीस) शय्याएँ न्यूनतम वांछित रूप से निर्धारित है। अतः इस आलोक में मेडिकल में मेडिकल कॉलेजों के प्रत्येक विलनिकल विभागों की मूल विशिष्टता के विषयों में न्यूनतम वांछित तीस शय्याओं के साथ ही एक यूनिट का गठन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही सुपर विशिष्टता के विषयों के लिये था अनुशंसित न्यूनतम 20 (बीस) शय्याओं के साथ एक यूनिट का गठन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

2. यूनिट का गठन भी एम०सी०आई० के अद्यतन दिशा—निर्देशों के अनुरूप ही किया जाय और किसी भी परिस्थिति में यूनिट के गठन में एम०सी०आई० के दिशा—निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जाय।

3. प्रायः यह भी देखा जा रहा है कि यू०जी० एवं पी०जी० कक्षाओं का संचालन एम०सी०आई० मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है और उनमें भी छात्र—छात्राओं की उपस्थिति कम होती है और उपस्थिति कम होने के बावजूद आपके द्वारा छात्र—छात्राओं को परीक्षा हेतु सेन्टप किया जा रहा है जो सर्वथा अनुचित है। चूँकि इससे छात्र—छात्राओं का समुचित प्रशिक्षण नहीं हो पाता है।

(क) यू०जी० एवं पी०जी० की कक्षायें एम०सी०आई० के मानकों के अनुरूप संचालित की जाय। इस निर्धारित संख्या के अनुरूप ही शिक्षण का रोस्टर तैयार कराया जाय और इसे संस्थान के वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जाय। इस रोस्टर को तैयार

करने का काम संबंधित विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य एक सप्ताह के अंदर सूत्रवार एवं बैचवार तैयार करायेंगे।

- (ख) यदि विद्यार्थियों की उपस्थिति पच्चहतर प्रतिशत से कम है तो यथा संभव अतिरिक्त कक्षायें चलाकर उन्हें उपस्थिति पूरी करने का मौका दिया जाय। यदि उसके बावजूद उनकी उपस्थिति पचहतर प्रतिशत से कम रहती है तो किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेन्टप नहीं किया जाय।
- (ग) एम०बी०बी०एस० विद्यार्थियों की विलनिकल पोस्टिंग एवं संध्या कक्षायें अनिवार्य रूप से संचालित की जाय और उसमें भी उनकी उपस्थिति की गणना सेन्टप करने हेतु की जाय। संध्याकालीन कक्षायें जो इण्डोर वार्ड में संध्या छः से आठ के बीच में संचालित होती है उनमें सीनियर रेजीडेन्ट अथवा जूनीयर रेजीडेन्ट तृतीय वर्ष द्वारा एम०बी०बी०एस० छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाय।
- (घ) व्याख्यान, विलनिकल पोस्टिंग, ओ०पी०डी० एवं वार्ड टीचिंग तथा डिमोस्ट्रेशन आदि के अतिरिक्त जर्नल क्लब, केस प्रस्तुतीकरण आदि भी आयोजित किये जायें।
- (ङ.) सभी प्रकार की कक्षाओं में बायोमेट्रिक उपकरण लगाये जायें और उन्हीं के माध्यम से छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्ज की जाय।
- (च) इन्टर्न छात्रों की उपस्थिति उनका पोस्टिंग विभाग में नगन्य देखी जाती है। जिसकी वजह से उनके द्वारा आदश्यक विलनिकल मुहैया नहीं हो पाता है। अतः इन्टर्न छात्रों की भी विलनिकल पोस्टिंग में उपस्थिति और उनसे कार्य लेना सुनिश्चित किया जाय और प्रातः एवं संध्याकालीन राउण्ड, इमरजेन्सी ड्यूटी आदि भी कराया जाय। इन्टर्न छात्रों की उपस्थिति भी बायोमेट्रिक के माध्यम से ली जाय।

VI. ड्रेस कोड

1. ड्यूटी पर उपस्थित सभी चिकित्सक (नन टेक्निकल एवं पारामेडिकल विषय सहित) एवं अनिवार्य रूप से एप्रन धारित करेंगे एवं एप्रन के बायीं तरफ की उपरी जेब पर चिकित्सा महाविद्यालय का नाम व मोनोग्राम तथा उनका नाम एवं पदनाम अंकित रहेगा। इसे एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।
2. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में ड्यूटी पर उपस्थित नर्सिंग स्टाफ/पारामेडिकल कर्मी तथा चतुर्थवर्गीय कर्मी अपने लिये निर्धारित वर्दी में ही उपस्थित रहेंगे और इसका अनुपालन संबंधित विभागाध्यक्ष, अधीक्षक एवं प्राचार्य सुनिश्चित करेंगे।

VII. अतिक्रमण

1. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के छात्रावासों तथा स्टॉफ क्वार्टर में प्रायः यह देखा जाता है कि पास हो चुके छात्र-छात्रायें अथवा सेवानिवृत्त कर्मी अनाधिकृत रूप से रहते हैं। ऐसे सभी छात्रावासों एवं स्टॉफ क्वार्टर का विस्तृत सर्वेक्षण कर न केवल अनाधिकृत रूप से खाली कराया जाय बल्कि इस अवधि का किराया भी सरकारी दर पर वसूल किया जाय।

2. चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार का अनाधिकृत उपयोग की दशा में प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की शिथिलता बरती गई तो इसकी जवाबदेही प्राचार्य एवं अधीक्षक सीधे तौर पर उत्तरदायी होंगे और अगर किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध अविलंब आपराधिक मुकदमा दायर किया जायेगा।


१५/४/२०१९
(संजय कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापाक:- १७९२/१९

दिनांक - ०९/०९/१९

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. नामांकन प्रभारी पदाधिकारी/छात्र शाखा प्रभारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कॉलेज वेबसाइट।


प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर